Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में हत्या करने के आरोपी राजू उर्फ राजीव को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई आजीवन कारावास व 45,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त राजू उर्फ राजीव पुत्र दयानन्द निवासी ग्राम बडागांव थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2016 में वादी के भाई पर लकडी के फट्टे से वार कर हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 338/2016 धारा 302/404 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 08.05.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राजू उर्फ राजीव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 45,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री गगन गौड एडीजीसी बागपत

है0का0 अमन कुमार थाना खेकडा

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत   दिनाँक 08.05.2026

बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-संजय पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत
2-आजाद उर्फ विजयपाल पुत्र रामवीर निवासी मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत।
3.सुमित पुत्र वेदू उर्फ वेद प्रकाश निवासी बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत।
4-इमरान पुत्र दीन मौहम्मद निवासी मौ0 गुसाईयान गुराना रोड कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना बडौत पुलिस टीम। (03 वारंटी)
2-थाना दोघट पुलिस टीम। (01 वारंटी)

BAGHPAT POLICE

साइबर क्राइम सेल , जनपद बागपत

साइबर क्राइम सेल , जनपद बागपत के द्वारा एक व्यक्ति से हुई ऑनलाइन फ्राड की धोखाधड़ी में 80,000/- रूपये वापस कराये गये–

1-पीड़ित श्री इरशाद पुत्र एजाज नि0 थाना बागपत, जनपद बागपत बागपत के द्वारा NCRP पोर्टल पर ACKNOWLEDGEMENT नं0 23102260028605 पर 80,000 रुपये खाता से कटने की शिकायत की गयी । जिसके फलस्वरुप साइबर सेल, जनपद बागपत द्वारा शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीडित के सभी 80,000 रुपयों को वापस कराया गया है ।

रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र0सं0	थाना	प्रा0 पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	साइबर क्राइम सेल	23102260028605	80,000/-

उत्तर प्रदेश पुलिस